UPMZ010005272015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय, कोर्ट सं0–3, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– श्री रवि कुमार दिवाकर (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण सं0–148/2015

राज्य

बनाम

1. रामवीर पुत्र सुखवीर
   निवासी– पीरखेडा, थाना–झिंझाना, शामली।
2. राजीव उर्फ छोटू पुत्र सोनू नाई
   निवासी–मौ०रामनगर, थाना– बडौत, जिला बागपत।
3. राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल
   निवासी– ग्राम भभीसा, थाना– कांधला, शामली।
4. अमित पुत्र सत्यप्रकाश (पत्रावली पृथक आदेश दिनांकित 01.03.2024)
   निवासी–मौ०रामनगर, थाना– बडौत, जिला बागपत।
5. हरेन्द्र पुत्र धीर सिंह
   निवासी–ग्राम कन्जर खेडी, थाना– बावरी, शामली।

मु०अ०सं०–280/2014
धारा–147,148,307/149,
302/149,452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
तथा धारा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट,1932
थाना–कांधला, जिला–शामली।

एवं

UPMZ010031772015

सत्र परीक्षण सं0–1158/2015

राज्य
बनाम

राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल
निवासी– ग्राम भभीसा, थाना कांधला, शामली।

मु०अ०सं०–338/2014
धारा–25/27 आयुध अधिनियम, 1959
थाना–कांधला, जिला–शामली।

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या 148/2015 मुकदमा अपराध संख्या 280/2014 में थाना कांधला, जिला शामली की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, अमित, राहुल उर्फ बोसी, हरेन्द्र के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 147,148,149,307,302,452,504 तथा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट के अंतर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरांत सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 04.02.2015 पर आधारित है। **उल्लेखनीय है कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्तगण विपुल उर्फ खूनी, अशोक, निवासी भभीसा व अभियुक्त राहुल, निवासी भंडल के विरुद्ध विवेचना जारी है, क्योंकि उपरोक्त तीनों अभियुक्त फरार है।**

इसी प्रकार सत्र परीक्षण संख्या 1158/2015 मुकदमा अपराध संख्या 338/2014 में थाना कांधला, जिला शामली की पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अंतर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरांत सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 11.09.2015 पर आधारित है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त अमित पुत्र सत्यप्रकाश की पत्रावली अभियुक्त के फरार होने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.03.2024 के द्वारा पृथक की गयी है। इस पत्रावली में अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र का विचारण किया जा रहा है।

3– संक्षेप में सत्र परीक्षण संख्या 148/2015 का अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अशोक पुत्र सुखवीर, निवासी गांव भभीसा, थाना कांधला, जनपद शामली के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना कांधला, जनपद शामली को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि आज दिनांक 14.07.2014 को समय 10.45 बजे दिन मैं अपने मकान में अखबार पढ रहा था तभी एक आर.टी. का गाडी सफेद रंग नंबर HR75A1071 रुकी जिसमे से सात आदमी हथियारों से लैस मेरे घर मे घुसकर मेरे ऊपर फायरिंग कर दी जो मेरे हाथ लगी जो विपुल उर्फ खूनी व बोशी ग्राम भभीसा ने मारी उनके साथ सहदेव धनौरा, बोबी नाला, राहुल भंडल व खूनी के बहनोई सरुरपुर और एक व्यक्ति मऊ काहा थे। उन से बचकर मैं अपने पिछले वाले कमरे में घुसकर अन्दर से कुन्डी बन्द कर दी अब वो सभी बदमाश मेरे भाई पवन के चिल्लाने पर बाहर निकल कर उसको गाली देते हुये फायरिंग की जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी मुझे भी जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। मेरे भाई का नाम पवन पुत्र सुखवीर है। मेरे भतीजे आशु के साथ खूनी की माँ के साथ गाली–गलौच हो गयी थी। उसी की रंजिश से यह हादसा हुआ है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। यह घटना गांव के लोगों ने देखी है।

वादी मुकदमा आशोक की मूल तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण विपुल उर्फ खूनी, बोशी, सहदेव धनौरा, बोबी नाला, राहुल भडल तथा **विपुल उर्फ खूनी** का बहनोई सकरपुर वाला तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 280/14, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 147,148,149,307,302,452,504 पंजीकृत किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, अमित, राहुल उर्फ बोसी, हरेन्द्र के विरूद्ध धारा 147,148,149,452,504,302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– संक्षेप में सत्र परीक्षण संख्या 1158/2015 का अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 27–8–2014 को मैं प्रभारी निरीक्षक अमरदीप लाल मय

एसआई श्री भुपेंद्र कुमार, कांस्टेबल शक्ति सिंह, कांस्टेबल फराज अहमद, मय सरकारी गाडी यूपी–12–ए–जी–0009 में चालक कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को लेकर पुलिस अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल उर्फ जयकुमार निवासी ग्राम भभीसा, थाना कांधला, जिला शामली से संबंधित मुकदमा प्रकरण संख्या 280/14 धारा 147, 148, 149, 452, 307, 504, 302 आईपीसी एवं 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट को हवालात मर्दाना से लेकर थाना हाजा से बहवाले रपट नंबर 36 समय 13–34 बजे बाउम्मदगी बरामदगी आला कत्ल तमंचा रवाना होकर **अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी** उपरोक्त के बताए रास्ते से बुढाना रोड से ग्राम भारसी को जाने वाले खड़ंजा से होते हुए राजवाहा पुल से करीब 50 कदम पहले अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी ने खड़ंजा पर ही गाड़ी को रुकवाया तथा गाड़ी से उतरकर आगे–आगे खड़ंजा के पश्चिम की तरफ बाग आम श्री गिरवर पुत्र श्री दयाराम निवासी ग्राम भवीसा, थाना कांधला, जिला शामली में लगी ट्यूबवेल के पास पहुंचकर उसके सामने खड़े, आम के पेड़ के पास बैठकर वहां से मिट्टी हटाकर एक पोलोथीन में लिपटा एक तमंचा जिसकी कुल लंबाई एक बालिस्त तीन अंगुल, नाल लोहा करीब 7 अंगुल, बाड़ी लोहा 6 अंगुल, जिसमें उपर हैमर व नीचे ट्रैगर व नाल खोलने व बंद करने के लिए ट्रैगर, ट्रैगर के आगे ट्रैगर नुमा पत्ती लगी है व बॉड़ी में दोनों तरफ पीतल की पत्ती लगी है, बट लोहा 4 अंगुल, जिसमें दोनों तरफ लकडी की चाप लगी है, तमंचा 315 बोर का चालू हालत में है व एक कारतूस पीतल का जिंदा, जिसकी पैंदी पर 8 एमेम केएफ लिखा है, तथा 315 बोर का है। समय करीब 14.10 बजे निकालकर दिया तथा बताया कि यही तमंचा है जिससे मैंने पवन की गोली मारकर हत्या की थी तथा उसके भाई अशोक को घायल किया था। तमंचा व कारतूस को उसी पॉलिथीन में रखकर कब्जे पुलिस में लिया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 25 आर्म्स एक्ट की हद को पहुंचता है। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराया गया। मानव अधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। कार्यवाही के दौरान आने जाने वाले जनता के लोगों से गवाही के लिए कहा गया तो सब अपनी अपनी मजबूरी बताकर चले गए। कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। अभियुक्त के निशानदेही पर बरामदा तमंचा व कारतूस को पॉलोथीन

एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्वे मोहरकर नमूना मोहर बनाया गया. फर्द मौके पर मुझ प्रभारी निरीक्षक ने एस.आई श्री भुपेंद्र कुमार को बोल–बोलकर लिखाकर हमराही अभियुक्त को पढ़कर सुनाकर बतौर गवाही हस्ताक्षर कराए जाते हैं।

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक अमरदीप लाल की मूल फर्द बरामदगी प्रदर्श क–24 के आधार पर अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 338/2014, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 पंजीकृत किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– प्रश्नगत मामलें में अभियुक्तगण रामवीर, हरेन्द्र, राजीव उर्फ छोटू, अमित व राहुल उर्फ बोसी के विरुद्ध दिनांक 18.08.2015 को आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,452,307/149,302/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट तथा अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के विरुद्ध दिनांक 14.10.2015 को आरोप अंतर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम, 1959 विरचित किया गया, अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, किंतु अभियुक्तगण ने उपरोक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से, अभियुक्तगण के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:–

क्र० स०	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1.	पी.डब्लू.1	आशोक	वादी मुकदमा/चोटिल
2.	पी.डब्लू.2	श्रीमती सोहनवीरी	चश्मदीद साक्षी (मृतक पवन कुमार सिंह की पत्नी
3.	पी.डब्लू.3	डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा	विशेषज्ञ साक्षी
4.	पी.डब्लू.4	डॉ० जयप्रकाश त्यागी	विशेषज्ञ साक्षी

5.	पी.डब्लू.5	एस.आई.घनश्याम त्यागी	पंचनामाकर्ता
6.	पी.डब्लू.6	सी.सी.रामकुमार	चिक लेखक
7.	पी.डब्लू.7	निरीक्षक पंकज वर्मा	विवेचक
8.	पी.डब्लू.8	एस.ओ. अमर कुमार बांगला	विवेचक
9.	पी.डब्लू.9	एस.ओ. अमरदीप लाल	विवेचक

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

7– अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैः–

क्र० स०	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये है।**
1.	हस्तलिखित मूल तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू.1 अशोक वादी मुकदमा/चश्मदीद चोटिल
2.	फर्द लेने कब्जा बनियान आदि	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू.1 अशोक वादी मुकदमा
3.	चोटिल अशोक की इन्जरी रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू.3 डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा
4.	चोटिल अशोक की एक्स–रे रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू.3 डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा
5.	मृतक पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू.4 डॉ० जयप्रकाश त्यागी
6.	मृतक पवन का पंचनामा	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
7.	चिट्ठी सी.एम.ओ.	प्रदर्श क–7	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
8.	चिट्ठी आर.आई.	प्रदर्श क–8	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी

9.	चालान नाश	प्रदर्श क–9	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
10.	फोटो नाश	प्रदर्श क–10	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
11.	फर्द लेने कब्जा कारतूस आदि	प्रदर्श क–11	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
12.	फर्द लेने कब्जा कारतूस आदि	प्रदर्श क–12	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
13.	फर्द लेने कब्जा मिट्टी सादा आदि	प्रदर्श क–13	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
14.	फर्द लेने कब्जा मिट्टी सादा आदि	प्रदर्श क–14	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
15.	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–15	पी.डब्लू.6 सी.सी.रामकुमार
16.	जी.डी. कायमी	प्रदर्श क–16	पी.डब्लू.6 सी.सी.रामकुमार
17.	चिक एफ.आई.आर. मु०अ०सं० 338/14 धारा 25 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क–17	पी.डब्लू.6 सी.सी.रामकुमार
18.	जी.डी. कायमी मु०अ०सं० 338/14 धारा 25 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क–18	पी.डब्लू.6 सी.सी.रामकुमार
19.	जी.डी.रवानगी पूछताछ	प्रदर्श क–19	पी.डब्लू.6 सी.सी.रामकुमार
20.	नक्शा नजरी बरामदगी आला कत्ल	प्रदर्श क–20	पी.डब्लू.7 आई.ओ. पंकज वर्मा
21.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–21	पी.डब्लू.7 आई.ओ. पंकज वर्मा
22.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–22	पी.डब्लू.7 आई.ओ. पंकज वर्मा

23.	नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–23	पी.डब्लू.8 आई.ओ. अमर कुमार बांगला
24.	फर्द बरामदगी तमन्चा आला कत्ल आदि	प्रदर्श क–24	पी.डब्लू.9 आई.ओ. अमरदीप लाल
25.	नक्शा नजरी धारा 25 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क–25	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
26.	आरोप पत्र धारा 25 आयुध अधिनियम	प्रदर्श क–26	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी
27.	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–27	पी.डब्लू.5 एस.आई.घनश्याम त्यागी

8– अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष वस्तु के रूप में निम्नलिखित वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं और जिनके साबित होने के उपरान्त उन पर नियमानुसार वस्तु प्रदर्श अंकित किया गया –

क्र० स०	**अभियोजन प्रपत्र**	**वस्तु प्रदर्श**	**अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये है।**
1.	अंडरवियर	वस्तु प्रदर्श– 1	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
2.	कलावा	वस्तु प्रदर्श– 2	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
3.	बासी पेपर लिफाफा	वस्तु प्रदर्श– 3	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
4.	मिट्टी सादा	वस्तु प्रदर्श– 4	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
5.	कपडा	वस्तु प्रदर्श– 5	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
6.	मिट्टी खून आलूदा	वस्तु प्रदर्श– 6	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम

			त्यागी
7.	कपडा	वस्तु प्रदर्श– 7	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
8.	प्लास्टिक का डिब्बा	वस्तु प्रदर्श– 8	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
9.	खून आलूदा	वस्तु प्रदर्श– 9	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
10.	मिट्टी सादा	वस्तु प्रदर्श– 10	पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी
11.	पुलिन्दा	वस्तु प्रदर्श– 11	पी.डब्लू.9 आई.ओ. अमरदीप लाल
12.	पजामा	वस्तु प्रदर्श– 12	पी.डब्लू.9 आई.ओ. अमरदीप लाल
13.	बनियान	वस्तु प्रदर्श– 13	पी.डब्लू.9 आई.ओ. अमरदीप लाल

9– अभियुक्तगण रामवीर, राहुल उर्फ बोसी, राजीव उर्फ छोटू, हरेन्द्र के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए अभिकथन किया कि गलत मुकदमा कायम किया गया तथा रंजिश के कारण झूठा मुकदमा कायम कर झूठा फंसाया गया है। साक्षीगणों के द्वारा इस मुकदमें मे गलत बयान दिये गये है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

10– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11– अपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

12– अभियोजन पक्ष को पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे साबित करना है कि अभियुक्तगण रामवीर, हरेन्द्र, राजीव उर्फ छोटू व राहुल उर्फ बोसी के द्वारा दिनांक 14.7.2014 को समय करीब 10.45 बजे ए०एम० स्थान ग्राम भभीसा अर्न्तगत थाना कांधला जिला शामली के क्षेत्र में अभियुक्तगण ने अपने एक अन्य साथी विपुल उर्फ खूनी एवं एक अन्य के साथ वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन एवं वादी की उपहति कारित करने के लिए सशस्त्र विधि विरूद्ध जमाव किया तथा जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसरित करते हुए, अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर घातक शस्त्रो से सुसज्जित होकर उपरोक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बलवा किया तथा उपरोक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसरित करते हुऐ, अपने एक अन्य साथी विपुल उर्फ खूनी एवं एक अन्य के साथ वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या करने एवं वादी को चोटे पहुँचाने के आशय से वादी के मकान में एकराय होकर अनाधिकृत प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर को गोली मारकर गम्भीर चोटे पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की गोली मारकर साशय हत्या कारित की तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या करने एवं वादी को जान से मारने की नीयत से घायल के आशय से अवैध तथा घातक हथियारो से लैस होकर मौके पर उपस्थित हुये व अन्य को भयभीत करने के आशय / उददेश्य से बलवा किया तथा **अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी** द्वारा दिनांक 27–8–2014 को समय करीब 14–10 बजे स्थान जंगल ग्राम भभीसा भारसी जाने वाले खडन्जे के पास, आम के पेड के पास मिटटी से अर्न्तगत थाना कांधला, जिला शामली में अभियुक्त की निशानदेही पर एक देशी तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा व एक जिंदा कारतूस बिना लाईसेंसी बरामद हुआ।

13– इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुजफ्फरनगर श्री कुलदीप कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण रामवीर, हरेन्द्र, राजीव उर्फ छोटू व राहुल उर्फ बोसी के द्वारा दिनांक 14.7.2014 को समय करीब 10.45 बजे ए०एम० स्थान ग्राम भभीसा अर्न्तगत थाना कांधला जिला शामली के क्षेत्र में अभियुक्तगण ने **अपने एक अन्य साथी विपुल उर्फ खूनी** एवं एक अन्य के साथ वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन एवं वादी की उपहति कारित करने के लिए सशस्त्र विधि विरूद्ध जमाव किया तथा जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसरित करते हुए, अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर घातक शस्त्रो से सुसज्जित होकर उपरोक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बलवा किया तथा उपरोक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसरित करते हुऐ, अपने एक अन्य साथी **विपुल उर्फ खूनी** एवं एक अन्य के साथ वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या करने एवं वादी को चोटे पहुँचाने के आशय से वादी के मकान में एकराय होकर अनाधिकृत प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर को गोली मारकर गम्भीर चोटे पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की गोली मारकर साशय हत्या कारित की तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या करने एवं वादी को जान से मारने की नीयत से घायल के आशय से अवैध तथा घातक हथियारो से लैस होकर मौके पर उपस्थित हुये व अन्य को भयभीत करने के आशय / उददेश्य से बलवा किया तथा **अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी** द्वारा दिनांक 27–8–2014 को समय करीब 14–10 बजे स्थान जंगल ग्राम भभीसा भारसी जाने वाले खडन्जे के पास, आम के पेड के पास मिटटी से अर्न्तगत थाना कांधला, जिला शामली में अभियुक्त की निशानदेही पर एक देशी तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा व एक जिंदा कारतूस बिना लाईसेंसी बरामद हुआ। अभियुक्तगण के उपरोक्त कृत्यों को अभियोजन के द्वारा पूर्णतः सिद्ध एवं साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध किया जाये।

14– इस संबंध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तगण के द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण घातक हथियारों से सुसज्जित होकर कोई भी बलवा कारित नही किया गया है और ना ही किसी को जान से मारने का प्रयास किया गया है और ना ही किसी की हत्या कारित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण पूर्णतः काल्पनिक है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है। अभियोजन के द्वारा अपने केस को संदेह से परे साबित नही किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

15– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.1 के रुप में अशोक को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.1 अशोक प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल है।

गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि मृतक पवन मेरा सगा भाई था, आशू मेरे भाई पवन का लड़का व मेरा भतीजा है। मेरे भतीजे आशू का नाम मुझसे विपुल उर्फ खूनी के साथी अजय की हत्या में मुझे झूठा आया था। इस बात को लेकर घटना से करीब दो माह पहले मेरे भतीजे आशू ने विपुल की मां को अपनी फर्जी व झूठी नामजदगी के बारे में बुरा–भला कह दिया था, जिस कारण विपुल व उसका परिवार हमारे परिवार से रंजिश मानने लगे थे। घटना दिनांक 14–07–2014 की प्रातः पौने ग्यारह बजे की है। मैं उस समय अपने गांव के बैठक में अखबार पढ़ रहा था। मेरा मकान बुढ़ाना कांधला मुख्य मार्ग पर ही है। मेरा बड़ा भाई पवन अपने बराबर वाले मकान की गैलरी में था। यह उस समय चारपाई डालकर उस पर बैठा हुआ था। मेरी पत्नी नीलम उस समय मेरे मकान की गैलरी में झाडू लगा रही थी। मेरी भाभी सोहनवीर मेरे भाई के साथ चारपाई पर बैठी थी। एक सफेद रंग की कार जिसका नंबर एचआर–75 ए, 1071 था, बुढ़ाना की तरफ से आई जो मेरे भाई पवन के मकान की गैलरी के सामने आकर रुकी। **जिसमें से कुल सात लोग** उतरे जिनके हाथों में दो राइफल, एक बंदूक, पिस्टल व कट्टे थे। मैंने उन लोगों में से विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेतरपाल, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, अशोक पुत्र रणधीर, निवासी भभीसा, राहुल पुत्र सुखबीर, निवासी भंडल, रविंद्र पुत्र ईश्वर, निवासी सरूरपुर को पहले से जाने–पहचाने की वजह से पहचान लिया था। शेष को मैंने पहचाना नहीं था परंतु अभियुक्तगण उनके नाम ले रहे

थे जो बॉबी नाला व सहदेव धनोरा थे परंतु मुझे बाद में पता चला कि बॉबी व सहदेव उनके साथ नहीं थे, **बल्कि रामवीर निवासी पीरखेरा व राजीव बड़ोत थे।** उपरोक्त लोगों ने गाड़ी से उतरकर मेरे भाई पवन से कहा कि आशू ढक्कन कहाँ है? और कहते ही जान से मारने की नियत से गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस प्रकार इन लोगों ने मेरे भाई पवन की हत्या कर दी। इसके बाद यह सभी लोग मेरे घर में घुस गए और मुझे जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर किए **जिनमें से एक गोली मेरे दाहिने हाथ पर लगी।** मैं भागकर घर के कमरे के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई। यह घटना मेरी पत्नी नीलम, मेरी भाभी सोहनवीरी ने भी देखी थी, तथा गांव के भी बहुत से लोगों ने देखी थी परंतु अभियुक्तगण के डर के कारण ना तो मौके पर कोई बीच बचाव कराने आया और ना ही कोई बोलता है। मैंने घटना की तहरीर शीशपाल पुत्र कृष्णपाल निवासी मुकुंदपुर थाना छपरोली से लिखवाई थी, जिससे वह तहरीर लिखकर मुझे पढ़कर सुना दी थी, जिस पर मैंने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। गवाहों ने तहरीर कागज संख्या 5 देखकर कहा कि वही तहरीर है जो मैंने शीशपाल से लिखवाई थी, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। **गवाह ने न्यायालय के कटघरे में खड़े रामवीर, राजीव, राहुल उर्फ बोसी को देखकर नाम से पहचानकर बताया कि यह लोग घटना में शामिल थे।** मैंने घटना के समय बनियान व पजामा पहना हुआ था। मेरे बनियान व पजामे पर भी खून लगा था। मैंने घटना के बाद घटना के समय स्वयं द्वारा पहना हुआ बनियान व पजामा पुलिसवालों ने राजीव व धनवीर की उपस्थिति में पुलिसवालों को दे दिया था। पुलिसवालों ने बनियान व पजामा सील करने हेतु लिया था, जो मेरी उपस्थिति में सील नहीं किया था। पुलिस ने मेरी बनियान व मेरे पजामे की फर्द मौके पर बनाई थी. दरोगा जी ने फर्द पढ़कर हमें सुनाकर मेरा अंगूठा व राजीव धनवीर के हस्ताक्षर करवाए थे. गवाह ने फर्द को सुनकर कहा कि वही फर्द है, जो मेरा पजामा बनवाने जाने के समय तैयार की थी। जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है, फर्द पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/चश्मदीद चोटिल ने अपने मुख्य बयानात के द्वारा हस्तलिखित मूल तहरीर को प्रदर्श क–1 तथा फर्द लेने कब्जा बनियान आदि को प्रदर्श क–2 के रुप में साबित किया है।

गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल के मुख्य बयानात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मृतक पवन मेरा सगा भाई था, आशू मेरे भाई पवन का लड़का व मेरा भतीजा है। मेरे भतीजे आशू का नाम मुझसे विपुल उर्फ खूनी के साथी अजय की हत्या में झूठा आया था। इस बात को लेकर घटना से करीब दो माह पहले मेरे भतीजे आशू ने विपुल उर्फ खूनी की मां को अपनी फर्जी व झूठी नामजदगी के बारे में बुरा–भला कह दिया था, जिस कारण विपुल उर्फ खूनी व उसका परिवार हमारे परिवार से रंजिश मानने लगे थे। घटना दिनांक 14–07–2014 की प्रातः पौने ग्यारह बजे की है। मैं उस समय अपने गांव के बैठक में अखबार पढ़ रहा था। मेरा मकान बुढ़ाना कांधला मुख्य मार्ग पर ही है। मेरा बड़ा भाई पवन अपने बराबर वाले मकान की गैलरी में था। यह उस समय चारपाई डालकर उस पर बैठा हुआ था। मेरी पत्नी नीलम उस समय मेरे मकान की गैलरी में झाड़ू लगा रही थी। मेरी भाभी सोहनवीरी मेरे भाई के साथ चारपाई पर बैठी थी। एक सफेद रंग की कार जिसका नंबर एचआर–75 ए 1071 था, बुढ़ाना की तरफ से आई जो मेरे भाई पवन के मकान की गैलरी के सामने आकर रुकी। जिसमें से कुल सात लोग उतरे जिनके हाथों में दो राइफल, एक बंदूक, पिस्टल व कट्टे थे। मैंने उन लोगों में से विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, अशोक पुत्र रणधीर, निवासी भभीसा, राहुल पुत्र सुखबीर, निवासी भंडल, रविंद्र पुत्र ईश्वर, निवासी सरूरपुर को पहले से जाने–पहचाने की वजह से पहचान लिया था। शेष को मैंने पहचाना नहीं था परंतु अभियुक्तगण उनके नाम ले रहे थे जो बॉबी नाला व सहदेव धनोरा थे परंतु मुझे बाद में पता चला कि बॉबी व सहदेव उनके साथ नहीं थे, बल्कि रामवीर निवासी पीरखेरा व राजीव बड़ोत थे। उपरोक्त लोगों ने गाड़ी से उतरकर मेरे भाई पवन से कहा कि आशू ढक्कन कहाँ है? और कहते ही जान से मारने की नियत से गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस प्रकार इन लोगों ने मेरे भाई पवन की हत्या कर दी। इसके बाद यह सभी लोग मेरे घर में घुस गए और मुझे जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर किए जिनमें

से एक गोली मेरे दाहिने हाथ पर लगी। मैं भागकर घर के कमरे के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई। यह घटना मेरी पत्नी नीलम, मेरी भाभी सोहनवीरी ने भी देखी थी, तथा गांव के भी बहुत से लोगों ने देखी थी परंतु अभियुक्तगण के डर के कारण ना तो मौके पर कोई बीच बचाव कराने आया और ना ही कोई बोलता है।

गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल ने अपनी जिरह के पेज संख्या 2 व 3 पर कहा कि इस घटना में लगभग 15 से 20 गोलियां चली थी। **अतः गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल की जिरह से स्पष्ट है कि मौका ए वारदात पर अभियुक्तगणों के द्वारा 15 से 20 गोलियां चलायी गयी थी।**

गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल ने अपनी जिरह के पेज संख्या 4 पर कहा कि मैने सभी अभियुक्तगणों में से मौके पर ही अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, आशोक पुत्र रणवीर, राहुल पुत्र सुखवीरा, रविन्द्र पुत्र ईश्वर को पहचान लिया था। रामवीर पुत्र नामालूम निवासी परिखेडा, राजीव निवासी बडौत को मौके पर पहचान लिया था, लेकिन इनका नाम नही जानता था। मैने रामवीर और राजीव के नाम तहरीर में नही लिखाये थे क्योंकि मैं इनके नाम नही जानता था। कुल आठ अभियुक्तगण मौके पर आये थे। इन सभी ने मेरे ऊपर फायरिंग की थी। **अतः गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल की जिरह से स्पष्ट है कि मौके ए वारदात पर ही गवाह ने अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, अशोक पुत्र रणधीर, राहुल पुत्र सुखवीरा, रविन्द्र पुत्र ईश्वर के शिनाख्त कर ली थी तथा रामवीर निवासी परिखेडा, राजीव निवासी बडौत को पहचान लिया था किंतु इनके नाम नही पता थे। इस कारण से रामवीर व राजीव का नाम मूल तहरीर में नही है क्योंकि घटना के समय वह उन दोनों लोगों को चेहरे से तो जानता था किंतु उनके नाम नही पता थे। घटनास्थल पर कुल आठ अभियुक्तगण थे और सभी के द्वारा फायर किये गये थे।**

गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल ने अपनी जिरह के पेज संख्या 5 पर कहा कि मेरे भाई को दो गोलियां लगी थी। भाभी को कोई गोली नही लगी थी। अतः गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल की

जिरह से स्पष्ट है कि उसके भाई मृतक पवन को अभियुक्तगण के द्वारा एक राय होकर दो गोली मारकर हत्या की गयी तथा उसकी भाभी सोहनवीरी को कोई भी गोली नही लगी।

अतः गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल के उपरोक्त मुख्य बयानात एवं जिरह से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक पवन उसका सगा भाई था। आशू उसके भाई पवन का लड़का व उसका भतीजा है। उसके भतीजे आशू का नाम उससे विपुल उर्फ खूनी के साथी अजय की हत्या में झूठा आया था। इस बात को लेकर घटना से करीब दो माह पहले उसके भतीजे आशू ने विपुल उर्फ खूनी की मां को अपनी फर्जी व झूठी नामजदगी के बारे में बुरा–भला कह दिया था, जिस कारण विपुल उर्फ खूनी व उसका परिवार उनके परिवार से रंजिश मानने लगे थे। घटना दिनांक 14–07–2014 की प्रातः पौने ग्यारह बजे की है। वह उस समय अपने गांव के बैठक में अखबार पढ़ रहा था। उसका मकान बुढ़ाना कांधला मुख्य मार्ग पर ही है। उसका बड़ा भाई पवन अपने बराबर वाले मकान की गैलरी में था। यह उस समय चारपाई डालकर उस पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी नीलम उस समय उसके मकान की गैलरी में झाड़ू लगा रही थी। उसकी भाभी सोहनवीरी उसके भाई के साथ चारपाई पर बैठी थी। एक सफेद रंग की कार जिसका नंबर एचआर–75 ए 1071 था, बुढ़ाना की तरफ से आई जो उसके भाई पवन के मकान की गैलरी के सामने आकर रुकी। जिसमें से कुल सात लोग उतरे जिनके हाथों में दो राइफल, एक बंदूक, पिस्टल व कट्टे थे। उसने उन लोगों में से विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, अशोक पुत्र रणधीर, निवासी भभीसा, राहुल पुत्र सुखबीर, निवासी भंडल, रविंद्र पुत्र ईश्वर, निवासी सरूरपुर को पहले से जाने–पहचाने की वजह से पहचान लिया था। शेष को उसने पहचाना नहीं था परंतु अभियुक्तगण उनके नाम ले रहे थे जो बॉबी नाला व सहदेव धनोरा थे परंतु उसे बाद में पता चला कि बॉबी व सहदेव उनके साथ नहीं थे, बल्कि रामवीर निवासी पीरखेरा व राजीव बड़ोत थे। उपरोक्त लोगों ने गाड़ी से उतरकर उसके भाई पवन से कहा कि आशू ढक्कन कहाँ है? और कहते ही जान से मारने की नियत से गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस प्रकार इन लोगों ने उसके भाई पवन की हत्या कर दी। इसके बाद यह सभी लोग उसके घर में घुस गए

और उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर किए जिनमें से एक गोली उसके दाहिने हाथ पर लगी। वह भागकर घर के कमरे के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई। यह घटना उसकी पत्नी नीलम, उसकी भाभी सोहनवीरी ने भी देखी थी तथा गांव के भी बहुत से लोगों ने देखी थी परंतु अभियुक्तगण के डर के कारण ना तो मौके पर कोई बीच बचाव कराने आया और ना ही कोई बोलता है। गवाह पी.डब्लू. 1 अशोक वादी मुकदमा/ चश्मदीद चोटिल के उपरोक्त बयानात की संपुष्टि उसके द्वारा दिये गये बयानात अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा हस्तलिखित मूल तहरीर प्रदर्श क–1 से होती है।

16– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.2 के रुप में सोहनवीरी को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.2 सोहनवीरी प्रश्नगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी व मृतक पवन कुमार सिहं की पत्नी है।

गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि मृतक पवन मेरे पति थे, वे चुटैल, अशोक मेरे देवर हैं, मेरे देवर अशोक इस केस के वादी हैं, हम दोनों के मकान गांव भवीसा में साथ–साथ मिले हुए हैं। घटना 14.07 .2014 के लगभग पौने ग्यारह बजे की है. आशु मेरा लड़का है, विपुल उर्फ खूनी के दोस्त की हत्या में मेरे बेटे आशु का नाम विपुल ने लिखवा दिया था, जो मेरे पति की हत्या से दो माह पहले ही बात है। मेरे लड़के आशु ने घटना से पहले विपुल की मां को अपनी फर्जी नामजदगी के बारे में बुरा–भला कह दिया था। इस बात को लेकर विपुल मेरे बेटे आशु से रंजिश मानने लगा था। विपुल अपराधी किस्म का आदमी था। दिनांक 14.07.2014 को लगभग पौने ग्यारह बजे मैं व मेरे पति पवन कुमार सिंह अपने मकान की गैलरी में बैठे थे. हमारे मकान के सामने कांदला बुढाना मुजफ्फरनगर रोड चलता है। अशोक उस समय अपनी बैठक में मेरे ससुर सुखबीर सिंह के साथ बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। उसी समय बुढाना की तरफ से सफेद रंग की एक कार आई, जो मेरी गैलरी के सामने रुकी। उसमें से सात–आठ आदमी उतरे, जिनके हाथों में राइफल, पिस्तौल, दोनाली व कट्टे थे। उनमें से मैंने चार लोगों को पहचाना था, जो विपुल उर्फ खूनी, राहुल उर्फ बोसी, जो दोनों मेरे गांव भभीसा के हैं, तीसरा अशोक भी मेरे ही गांव का है, और चौथा रविंद्र था, जो

गांव सुरूरपुर का है, और विपुल उर्फ खूनी का बहनोई है और घटना में शामिल लोगों को मैंने पहचाना था। इन्होंने आकर आशु को पूछा था, और यह कहते इन लोगों ने मेरे पति पर फायरिंग कर दी। मेरे पति को गोलियां लगी थी, और उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी। इन लोगों ने मुझ पर भी फायरिंग की थी, परंतु मैं चक्कर खाकर गिर गई थी, जिस कारण मुझे कोई गोली नहीं लगी थी। यह लोग फिर अशोक की तरफ गए, और अशोक पर भी गोलियां चलाई थी, जिसमें से अशोक को भी गोली की चोट आई थी। इस घटना को मैंने मेरे ससुर सुखबीर सिंह, मेरी देवरानी नीलम ने भी देखा था।

गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी के मुख्य बयानात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मृतक पवन उसके पति थे तथा चुटैल अशोक उसके देवर हैं। उसके देवर अशोक इस केस के वादी हैं। उन दोनों के मकान गांव भभीसा में साथ–साथ मिले हुए हैं। घटना 14.07.2014 के लगभग पौने ग्यारह बजे दिन की है। आशु उसका लड़का है, विपुल उर्फ खूनी के दोस्त की हत्या में उसके बेटे आशु का नाम विपुल उर्फ खूनी ने लिखवा दिया था, जो उसके पति की हत्या से दो माह पहले ही बात है। उसके लड़के आशु ने घटना से पहले विपुल उर्फ खूनी की मां को अपनी फर्जी नामजदगी के बारे में बुरा–भला कह दिया था। इस बात को लेकर विपुल उर्फ खूनी उसके बेटे आशु से रंजिश मानने लगा था। विपुल उर्फ खूनी अपराधी किस्म का आदमी था। दिनांक 14.07.2014 को लगभग पौने ग्यारह बजे वह व उसका पति पवन कुमार सिंह अपने मकान की गैलरी में बैठे थे। उनके मकान के सामने कांधला बुढाना मुजफ्फरनगर रोड चलता है। अशोक उस समय अपनी बैठक में उसके ससुर सुखबीर सिंह के साथ बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। उसी समय बुढाना की तरफ से सफेद रंग की एक कार आई, जो उसकी गैलरी के सामने रुकी। उसमें से सात–आठ आदमी उतरे, जिनके हाथों में राइफल, पिस्तौल, दोनाली व कट्टे थे। उनमें से उसने चार लोगों को पहचाना था, जो विपुल उर्फ खूनी, राहुल उर्फ बोसी, जो दोनों उसके गांव भभीसा के हैं, तीसरा अशोक भी उसके ही गांव का है, और चौथा रविंद्र था, जो गांव सुरूरपुर का है, और विपुल उर्फ खूनी का बहनोई है और घटना में शामिल लोगों को उसने पहचाना था। इन्होंने आकर आशु को पूछा था, और यह कहते इन लोगों ने उसके

पति पर फायरिंग कर दी। उसके पति को गोलियां लगी थी, और उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी। इन लोगों ने उस पर भी फायरिंग की थी, परंतु वह चक्कर खाकर गिर गई थी, जिस कारण उसे कोई गोली नहीं लगी थी। यह लोग फिर अशोक की तरफ गए, और अशोक पर भी गोलियां चलाई थी, जिसमें से अशोक को भी गोली की चोट आई थी। इस घटना को उसने उसके ससुर सुखबीर सिंह, उसकी देवरानी नीलम ने भी देखा था।

गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी ने अपनी जिरह के पेज संख्या 9 पर कहा कि बदमाशों में से चार आदमी खिडकियों में से हमारी गैलरी में घुस आये थे। उन्होने आते ही आशू के बारे मे पूछा और हमारे ऊपर अंधाधुंध फायर शुरु कर दी तथा इसी पेज पर आगे व पेज संख्या 10 पर यह भी कहा कि बदमाशों द्वारा चलायी गयी गोली मेरे पति के लगी थी। कहां–कहां लगी मुझे नही पता और मेरे पति पवन की मृत्यु हो गयी थी। **अतः गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी की जिरह से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र ने अन्य साथियों की मदद से एक राय होकर अंधाधुंध फायर शुरु कर दिया जिससे गवाह के पति पवन की मौके पर ही मौत हो गयी।**

गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी ने अपनी जिरह के पेज संख्या 12 पर कहा कि घटना के समय मैं और मेरे पति जिस चारपाई पर बैठे थे वह चारपाई प्लास्टिक की रस्सियों से बुनी हुई थी। मुझे नही पता कि उस चारपाई पर मेरे पति का खून लगा था या नही। **उपरोक्त जिरह से स्पष्ट है कि गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद एवं वास्तविक साक्षी है क्योंकि किसी भी सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति से यह उम्मीद नही की जा सकती कि जब उसके परिवार के किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या की जाये और वह उस समय याद रखे की मृतक का खून कहां–कहां पर गिरा है।**

अतः गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी के उपरोक्त मुख्य बयानात एवं जिरह से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक पवन उसके पति थे तथा चुटैल अशोक उसके देवर हैं। उसके देवर अशोक इस केस के वादी हैं। उन दोनों के मकान गांव भभीसा में साथ–साथ मिले हुए हैं। घटना 14.07.2014 के लगभग पौने ग्यारह बजे दिन की है। आशु उसका लड़का है, विपुल उर्फ खूनी के दोस्त की हत्या में उसके

बेटे आशु का नाम विपुल उर्फ खूनी ने लिखवा दिया था, जो उसके पति की हत्या से दो माह पहले ही बात है। उसके लड़के आशु ने घटना से पहले विपुल उर्फ खूनी की मां को अपनी फर्जी नामजदगी के बारे में बुरा–भला कह दिया था। इस बात को लेकर विपुल उर्फ खूनी उसके बेटे आशु से रंजिश मानने लगा था। विपुल उर्फ खूनी अपराधी किस्म का आदमी था। दिनांक 14.07.2014 को लगभग पौने ग्यारह बजे वह व उसका पति पवन कुमार सिंह अपने मकान की गैलरी में बैठे थे। उनके मकान के सामने कांधला बुढाना मुजफ्फरनगर रोड चलता है। अशोक उस समय अपनी बैठक में उसके ससुर सुखबीर सिंह के साथ बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। उसी समय बुढाना की तरफ से सफेद रंग की एक कार आई, जो उसकी गैलरी के सामने रुकी। उसमें से सात–आठ आदमी उतरे, जिनके हाथों में राइफल, पिस्तौल, दोनाली व कट्टे थे। उनमें से उसने चार लोगों को पहचाना था, जो विपुल उर्फ खूनी, राहुल उर्फ बोसी, जो दोनों उसके गांव भभीसा के हैं, तीसरा अशोक भी उसके ही गांव का है, और चौथा रविंद्र था, जो गांव सुरूरपुर का है, और विपुल उर्फ खूनी का बहनोई है और घटना में शामिल लोगों को उसने पहचाना था। इन्होंने आकर आशु को पूछा था, और यह कहते इन लोगों ने उसके पति पर फायरिंग कर दी। उसके पति को गोलियां लगी थी, और उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी। इन लोगों ने उस पर भी फायरिंग की थी, परंतु वह चक्कर खाकर गिर गई थी, जिस कारण उसे कोई गोली नहीं लगी थी। यह लोग फिर अशोक की तरफ गए, और अशोक पर भी गोलियां चलाई थी, जिसमें से अशोक को भी गोली की चोट आई थी। इस घटना को उसने उसके ससुर सुखबीर सिंह, उसकी देवरानी नीलम ने भी देखा था। गवाह पी.डब्लू. 2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी के उपरोक्त बयानात की संपुष्टि उसके द्वारा दिये गये बयानात अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा गवाह पी.डब्लू.1 अशोक वादी मुकदमा/चश्मदीद चोटिल के न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानात से होती है।

17– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.3 के रुप में डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.3 डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी है।

गवाह पी.डब्लू.3 डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 14.07.2014 को अपराह्न 2.45 ए.एम. पर मैने **चुटैल अशोक पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम, भभीसा, थाना कांधला, जिला मुजफ्फरनगर** जिसे सोमपाल सिंह पुत्र आशाराम निवासी भभीसा थाना कांधला स्वयं को चुटैल का चचेरा भाई बताया था के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण करके चोटें अंकित की थी व डाक्टरी प्रपत्र कागज संख्या 10/4 मेरे सामने मौजूद है। जिस पर मजरुब के पहचान के चिह्न व निशानी अंगूठा मौजूद है। जिसे मैने स्वयं सत्यापित कर रखा है। नावक्त मुआयना चुटैल के शरीर पर निम्नांकित चोटें थी– चोट नं.1– 1X1 सेमी. फटा हुआ घाव दायें हाथ के हथेली के ऊपरी पर था तथा जो गट्टे की हड्डी से 3 सेंटीमीटर नीचे बाहर की तरफ था, जिसके किनारे रगड़े हुए व अंदर की ओर मुड़े हुए थे तथा ताजा खून बह रहा था। कोई कालेस या सूजन चोट पर मौजूद नहीं थी। चोट आग्नेयास्त्र से आनी प्रतीत हो रही थी। लिहाज़ा दाहिने हाथ के आगे और पीछे एक्सरे की सलाह दी गई थी। चुटेल की हालत ठीक थी। उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया था। रक्तचाप 136/80, पल्स 80 पर मिनट थी। चुटेल के साथ थाना कांधला की पुलिस भी चुटेल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कांधला से रेफरन्स 616 के मुताबिक भेजा गया था। मेडिकल प्रपत्र पर सीरियल नंबर 9 अंकित है, यह आघात पत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। उसी दिन मैंने उक्त चोटेल अशोक पुत्र सुखवीर सिंह, पता उपरोक्त का एक्सरे अपने देखरेख में अपने नर्सिंग बोहरा नर्सिंग होम में कराया था। एक्सरे कराने के उपरांत एक्सरे रिपोर्ट दाहिने हाथ को देखने पर पता चला कि दाहिने हाथ की तीसरी उंगली की जड़ की हड्डी मेटाकार्पोल टूटी हुई थी और उसके अंदर गोली के टूटे हुए हिस्से मौजूद थे। एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। आघात पत्र व एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक चोटेल को जो चोटें थी, वह आग्नेयास्त्र से आना संभव है।

गवाह पी.डब्लू.3 डॉ० अर्जुन सिंह बोहरा ने अपने मुख्य परीक्षा के माध्यम से चोटिल अशोक की इन्जरी रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 तथा चोटिल अशोक की एक्स–रे रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रुप में साबित किया गया है।

चोटिल अशोक की इन्जरी रिपोर्ट प्रदर्श क–3 को देखने से स्पष्ट है कि उसे 1X1 सेमी. फटा हुआ घाव दायें हाथ के हथेली के ऊपरी पर था तथा जो गट्टे की हड्डी से 3 सेंटीमीटर नीचे बाहर की तरफ था, जिसके किनारे रगड़े हुए व अंदर की ओर मुड़े हुए थे तथा ताजा खून बह रहा था। कोई कालेस या सूजन चोट पर मौजूद नहीं थी।

उपरोक्त चोट मैडिकल रिपोर्ट के अनुसार आग्नेयास्त्र से आनी बतायी गयी है। लिहाज़ा दाहिने हाथ के आगे और पीछे एक्सरे की सलाह दी गई थी।

इस संबंध में मेरे द्वारा चोटिल अशोक की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–4 का गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार दाहिने हाथ को देखने पर पता चला कि दाहिने हाथ की तीसरी उंगली की जड़ की हड्डी मेटाकार्पोल टूटी हुई थी और उसके अंदर गोली के टूटे हुए हिस्से मौजूद थे।

उपरोक्त मैडिकल प्रपत्रों से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा/चोटिल को अशोक को फायर आर्म इन्जरी आयी थी।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

18– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.4 के रुप में डॉ० जयप्रकाश त्यागी को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.4 डॉ० जयप्रकाश त्यागी प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी अर्थात पोस्टमार्टमकर्ता है।

गवाह पी.डब्लू.4 डॉ० जयप्रकाश त्यागी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 14.07.2014 को मेरी ड्यूटी थाना चिकित्सा प्रभारी, अधिकारी पुलिस अस्पताल मुजफ्फरनगर में थी। उस दिन कॉन्स्टेबल 179 गजेंद्र सिंह, कॉन्स्टेबल 586 फराज अहमद, जो कि थाना कांधला से **पवन पुत्र वीर सिहं के शव को शव विच्छेदन** हेतु लेकर आए थे। साथ में दस पुलिस सिपाही थे। शव विच्छेदन रात में 18:15 पीएम पर किया गया था, जो कि जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की अनुमति से पुलिस पेपर संख्या 11 पर है। मृतक के शरीर पर एक

कच्छा, एक लाल कलावा, कुल दो, जो कि सील करके साथ आए कॉन्स्टेबल को दे दिए थे, मृतक के शरीर पर मृत्यु पश्चात की अकड़न पूरे शरीर पर थी, सड़ने का कोई चिन्ह नहीं था। मृत्यु पूर्व चोटें– चोट नं.1– 3X2 सेंटीमीटर गोली घुसने का घाव गर्दन में दाहिने तरफ, दाएं कान से 5 सेंटीमीटर नीचे और मार्जिन इनवर्टेड थे। ब्लैकनिंग 4X5 सेंटीमीटर घाव में चारों तरफ मौजूद थी। चोट नं.2– 2.5 X2 सेंटीमीटर का गोली निकलने का घाव दाहिनी तरफ सीने में मिड गर्दन से बिल्कुल लगा हुआ, जो कि और नंबर चोट नंबर 1 की ओर जा रहा था। मार्जिन इनवर्टेड बाहर की तरफ थे। चोट नंबर 3– 4 X4 सेंटीमीटर गोली घुसने का घाव बायें स्पेकुला की ओर की नोक पर था। मार्जिन इनवर्टेड जो कि स्पेकुला के ऊपर ही हिस्से से 9 सेंटीमीटर ऊपर थे। चोट नंबर 4–5X3 सेंटीमीटर एबरैटेड कन्टयूजन दाहिने घुटने पर था। चोट नंबर 5– दाहिने घुटने पर ऊपर की तरफ 6 X4 सेंटीमीटर एरिया में एबरैटेड कन्टयूजन पाया गया।

आंतरिक परीक्षण – दाहिने तरफ की पसलियों चार और पाँच टूटी हुई थीं, बाईं तरफ की छह व सात पसलियां टूटी हुई थीं, प्यूरा भरा हुआ था, खून व खून के थक्के मौजूद थे, दोनों फेफड़े भरे हुए थे, हृदय के दोनों चैंबर खाली थे, पेरिटोनियम में खून का थक्का मौजूद था, पेट में अधपचा खाना मौजूद था, यकृत भरा हुआ था, पेल्विक बोन फ्रैक्चर थी, इसमें से गोली बरामद हुई थी, एक फुफन, एक कार्डबोर्ड बीडन पीस बरामद हुए, मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुआ थी, जो कि मृत्यु पूर्व फायर आर्म इंजरी से होना संभव है। मेरी राय में मृतक की मृत्यु मरने से आधा दिन पूर्व हुई होगी। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने बरबख्त पोस्टमार्टम तैयार की थी, जो मेरे लेख में हस्ताक्षर में पहचान करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

गवाह पी.डब्लू.4 डॉ० जयप्रकाश त्यागी ने अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से मृतक पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रुप में साबित किया गया है।

मृतक पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–5 को देखने से स्पष्ट है उसे मृत्यु से पूर्व निम्नांकित चोटें आई है–

<u>चोट नं.1–</u> 3X2 सेंटीमीटर **गन शॉट इंट्री वुंड** गर्दन में दाहिने तरफ, दाएं कान से 5 सेंटीमीटर नीचे और मार्जिन इनवर्टेड थे। ब्लैकनिंग 4X5 सेंटीमीटर घाव में चारों तरफ मौजूद थी।

<u>चोट नं.2–</u> 2.5 X2 सेंटीमीटर का **एक्सिट वुंड** दाहिनी तरफ सीने में मिड गर्दन से बिल्कुल लगा हुआ, जो कि चोट नंबर 1 की ओर जा रहा था। मार्जिन इनवर्टेड बाहर की तरफ थे।

<u>चोट नंबर 3–</u> 4 X4 सेंटीमीटर **गन शॉट इंट्री वुंड** बायें स्पेकुला की ओर की नोक पर था। मार्जिन इनवर्टेड जो कि स्पेकुला के ऊपर ही हिस्से से 9 सेंटीमीटर ऊपर थे।

<u>चोट नंबर 4–</u>5X3 सेंटीमीटर एबरैटेड कन्टयूजन दाहिने घुटने पर था।

<u>चोट नंबर 5–</u>दाहिने घुटने पर ऊपर की तरफ 6 X4 सेंटीमीटर एरिया में एबरैटेड कन्टयूजन पाया गया।

उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक पवन की मृत्यु का कारण गन शॉट इन्जरी के कारण अत्यधिक रक्तस्त्राव था। उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मृतक पवन को दो गोलियां मारी गयी। एक गोली काफी पास से मारी गयी, जो कि मृतक पवन के शरीर के आर–पार हो गयी थी।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

19– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.5 के रुप में एस.आई. घनश्याम त्यागी को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी प्रश्नगत प्रकरण में पंचनामाकर्ता है।

गवाह पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि मैं दिनांक 14.04.2014 को उपनिरीक्षक थाना कांधला जिला शामली में तैनात था। उस दिन थाने में अपराध संख्या 280/2014 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 452, 504 IPC पंजीकृत हुआ था। मैं उस दिन थाना कांधला की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर गांव भभीसा घटनास्थल पर गया था। उस

दिन SHO साहब थाने से बाहर गए हुए थे। थाने के SI इंचार्ज अमर कुमार बांगला पर था। मैं उनके हमराह अन्य पुलिस फोर्स के साथ गांव भभीसा घटना स्थल पर पहुंचा। मैंने इंचार्ज के निर्देशन में मृतक पवन पुत्र सुखबीर सिंह निवासी भभीसा के शव का पंचनामा तैयार किया। पंचान लिखवाकर गवाहन के हस्ताक्षर कराए गए तथा पंचायतनामे से संबंधित प्रपत्र, फोटोनाश, चिट्ठी आरआई, चिट्ठी CMO, चालान लाश मेरे द्वारा तैयार करके उन पर उनके हस्ताक्षर किए तथा लाश का सील सर्वे कराए। मैं सभी कागजात को कॉन्स्टेबल गजेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल फराज अहमद को सुपुर्द किया गया, नमूना मुहर तैयार किया गया, जिसको संलग्न पंचायतनामा किया गया। पंचायतनामा पत्रावली पर है, मेरे सामने मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। **चिट्ठी CMO पर प्रदर्श क–7**, **चिट्ठी RI** पर प्रदर्श क– 8, **चालान लाश** पर प्रदर्श क– 9, **फोटोनाश** पर प्रदर्श क– 10 डाला गया। मेरे द्वारा पंचायतनामा के साथ थाना कार्यालय से चिक FIR में नकल रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई। इसी दिन मेरे द्वारा पंचान के गवाह रणवीर व राजीव कुमार सिंह, भभीसा व SI इंचार्ज अमर कुमार बांगला के सामने मृतक पवन के लाश के पास से से 9 mm, दो खोखा कारतूस, 8 mm खोखा कारतूस 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर को कब्जे में लेकर गवाहन एक सफेद कपड़े में रखकर सील व सर्वे मुहर कर नमूना मुहर कराया था। फर्द मैंने मौके पर लिखकर गवाहन को सुनाकर गवाहों के हस्ताक्षर कराए थे। मैंने भी हस्ताक्षर किए थे। मूल फर्द बरामदगी पत्रावली पर है, इस पर मेरे व गवाहन के हस्ताक्षर हैं, इस पर **प्रदर्श क– 11** डाला गया। उसी दिन मृतक पवन के फर्द, मुकदमा वादी अशोक कुमार के भाई के बयान भी लिए थे, खोखा कारतूस कब्जे लिए थे। गैलरी से एक खोखा 9 एमएम, बैठक से एक खोखा 9 एमएम व एक खोखा कारतूस 8 एमएम, व आंगन से एक खोखा कारतूस 8 व एक खोखा कारतूस 12 बोर गवाह, राजीव कुमार निवासी भभीसा व एसआई इंचार्ज अमर कुमार बांगला के द्वारा कब्जे पुलिस में लेकर एक सफेद कपड़े में रखकर नियमानुसार नमूना मोहर तैयार किया था, बरामदगी की फर्द मौके पर ही लिखकर गवाहों के सुनाकर गवाहों को फर्द पर हस्ताक्षर कराए थे, मैंने भी हस्ताक्षर किए थे, तस्दीक करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। इसी दिन मृतक पवन की लाश के पास से गवाह रणवीर व राजीव कुमार व एसआई इंचार्ज

अमर कुमार बांगला के लाश मिट्टी सादा व खून आलूदा प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर कब्जे पुलिस में ली गई थी व एक कपड़े में अलग–अलग डिब्बों में रखकर सील सर्वे मोहर करके नमूना मोहर तैयार कराया गया था। फर्द लिखकर गवाहों को पढ़कर सुनाकर उनके हस्ताक्षर कराए थे, मैंने भी हस्ताक्षर किए थे कागज संख्या 12/4 है, शिनाख्त करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। इसी दिन मृतक पवन की वादी अशोक कुमार की बैठक गैलरी व आंगन से मिट्टी सादा व खून आलूदा जगह–जगह पड़ी खून की बूंदों से, मिट्टी खून आलूदा कब्जे में ली गई व बरामद प्लास्टिक के अलग–अलग डिब्बों में रखकर अलग–अलग कपड़ों में रखकर सील, सर्वे मोहर, नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर मैंने लिखकर गवाहों को सुनाकर हस्ताक्षर कराए थे, अपने भी हस्ताक्षर किए थे। फर्द मेरे सामने है, शिनाख्त करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क– 14** डाला गया। दिनांक 16–7–2014 को मैंने मुकदमे में वादी अशोक कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी भभीसा थाना कांधला के हाथ में घटना के दिन लगी गोली को लेकर सील, जिसकी डॉक्टर रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट थाना में डॉक्टर बोहरा शामली के यहां से प्राप्त कर थाना कार्यालय में दर्ज की थी। दिनांक 16–7–2014 को ही थाना में एसओ श्री अमरदीप लाल विवेचक द्वारा इस मुकदमे से संबंधित मेरे द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में मेरे कागज दर्ज हुए। आज एक सील पुलिन्दा न्यायालय के समक्ष खोला गया, जिस पर विधिविज्ञान प्रयोगशाला की चिटबंदी लगी है, जिसमें से मृतक पवन घटना के समय जो अंडरवियर पहने था, जो कलावा जो हमराही मुकदमे, जिसका रंग लाल है, इसमें नाड़ा पड़ा हुआ है, इसी पुलिन्दे से एक बासी पेपर के लिफाफे में कलावा लाल रंग का निकला जो घटना के समय मृतक के हाथ में था, इसी पुलिन्दे से दो प्लास्टिक की डिब्बी, मिट्टी सादा व खून आलूदा जो मृतक की लाश से कब्जे पुलिस ली थी, यह मिट्टी खून आलूदा व एसआई अमर कुमार बांगला ने किया था, **अंडरवियर पर वस्तु प्रदर्श–1, कलावा पर वस्तु प्रदर्श–2, बासी पेपर लिफाफे पर वस्तु प्रदर्श–3, मिट्टी सादा पर वस्तु प्रदर्श–4, कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–5, मिट्टी खून आलूदा पर वस्तु प्रदर्श–6, कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–7** डाला गया, एक प्लास्टिक की डिब्बी, जिस पर वादी अशोक कुमार पुत्र सुखबीर, गांव भभीसा लिखा है के अन्दर से एक सील पुलिंदा निकला, गवाह ने कहा

कि इस जगह से चुटेल अशोक के हाथ से, जिसकी गोली ऑपरेशन के साथ निकली थी, सील सर्वे मोहर मेरे द्वारा की गई थी, यह जांच मुझे डॉक्टर बोहरा ने दिया था, जो मैंने थाने में प्रदर्शित कर दिया था, **प्लास्टिक के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–8** डाला गया, वादी गांव चुटेल के सामान पर एक खून आलूदा व सादा मिट्टी, खून कब्जा पुलिस, सादा मिट्टी कब्जा पुलिस ली गई थी, इन्हें अलग–अलग डिब्बे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया था, जो जांच क्षेत्र विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी। गवाह ने इन पुलिंदों को देखकर कहा कि प्लास्टिक की डिब्बे की खून आलूदा व सादा मिट्टी है, जो वादी चुटेल के मकान से ली गई थी, **खून आलूदा पर वस्तु प्रदर्श–9** व **मिट्टी सादा पर वस्तु प्रदर्श–10** डाला गया।

दिनांक 27.08.2014 को मैं थाना कांधला पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन थाने पर मु0अ0सं0 338/14 धारा 25 आयुध अधिनियम व आला कत्ल बरामदगी बनाम राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल उर्फ जयकुमार निवासी भभीसा थाना कांधला जिला शामली थाने पर पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना एसएचओ महोदय श्री अमरदीप लाल के आदेश से मेरे सुपुर्द की गयी है। मुकदमा मेरी मौजूदगी में थाना कांधला पर पंजीकृत हुआ था। उसी दिन सी.डी के पर्चा नं. 1 में मैने थाने से प्राप्त नकल चिक व कायमी मुकदमा नकल रपट आदि की नकल केस डायरी की थी व एफआईआर लेखक कां. कर्ल्क रामकुमार व का. परिवन्दर (जीडी लेखक) के बयान दर्ज किये थे। व अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के बयान दर्ज किये थे। दिनांक 27.08.2014 को ही एससीडी 1 ए में वादी मुकदमा अमरदीप लाल व गवाह एसआई राजकुमार के बयान दर्ज किये थे। वादी अमरदीप लाल के असमर्थ होने के कारण चश्मदीद साक्षी एसआई राजकुमार को साथ लेकर उनके बताये अनुसार जंगल ग्राम भभीसा, निरीक्षण घटनास्थल, बरामदगी स्थल तमन्चा व कारतूस का नक्शा नजरी बनाया था। जो मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। पत्रावली पर कागज संख्या 6 एस.टी. नं. 1158/15 सरकार बनाम राहुल उर्फ बोसी धारा 25 आयुध अधिनियम की पत्रावली में मौजूद है। शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–25** डाला गया। दिनांक 30.08.2014 को सी.डी 2 में गवाह एसआई भूपेन्द्र सिंह व का. फराज अहमद के बयान लेकर केस डायरी में दर्ज किये थे। दिनांक 2.9.14 को शक्ति सिंह व

का. चालक राजेन्द्र सिंह के बयान सी.डी 2 में दर्ज किये थे। दिनांक 2.9.14 को सी.डी. 4 में अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के विरुद्ध पूर्ण साक्ष्य पाये जाने के कारण आरोप पत्र संख्या 174/14 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कांधला प्रेषित किया था। जो पत्रावली मौजूद है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–26** डाला गया। दिनांक 10.9.14 को अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु एससीडी 1 में प्रेषित की थी। दिनाक 12.10.14 को डीएम महोदय से मुकदमा चलाने हेतु अनुमति एससीडी 2 का पर्चा किता कर सीडी में संलग्न किये थे। उक्त डीएम महोदय उपरोक्त पत्रावली में कागज संख्या 7 है। जिस पर डीएम जिला मजिस्ट्रेट शामली एन.डी सिंह के लघु हस्ताक्षर् है। व जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय की गोल मोहर है। शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–27** डाला गया।

गवाह पी.डब्लू.5 एस.आई. घनश्याम त्यागी ने अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से मृतक पवन का पंचनामा को प्रदर्श क–6, चिट्ठी सी.एम.ओ. को प्रदर्श क–7, चिट्ठी आर.आई. को प्रदर्श क–8, चालान नाश को प्रदर्श क–9, फोटो नाश को प्रदर्श क–10, फर्द लेने कब्जा कारतूस आदि को प्रदर्श क–11, फर्द लेने कब्जा कारतूस आदि को प्रदर्श क–12, फर्द लेने कब्जा मिट्टी सादा आदि को प्रदर्श क–13, फर्द लेने कब्जा मिट्टी सादा आदि को प्रदर्श क–14, नक्शा नजरी मु0अ0सं0 338/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क–25, आरोप पत्र मु0अ0सं0 338/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क–26 तथा अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–27 के रुप में साबित किया गया है तथा वस्तु के रुप में अंडरवियर को वस्तु प्रदर्श–1, कलावा पर वस्तु प्रदर्श–2, बासी पेपर लिफाफा पर वस्तु प्रदर्श–3, मिट्टी सादा पर वस्तु प्रदर्श–4, कपडे पर वस्तु प्रदर्श–5, मिट्टी खून आलूदा पर वस्तु प्रदर्श–6 तथा कपडे पर वस्तु प्रदर्श–7 तथा प्लास्टिक के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–8, खून आलूदा मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श–9 तथा मिट्टी सादा को वस्तु प्रदर्श–10 के रुप में साबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति

या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

20– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.6 के रुप में सी.सी. रामकुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.6 सी.सी. रामकुमार प्रश्नगत प्रकरण में चिक लेखक है।

गवाह पी.डब्लू.6 सी.सी. रामकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 14.07.2014 को मैं थाना कांधला पर बतौर सीसी तैनात था। उस दिन अशोक पुत्र सुखवीर निवासी भभीसा थाना कांधला, जनपद मुजफ्फरनगर की लिखित तहरीर, जिस पर उसका स्वयं का निशानी अंगूठा मौजूद है, ने थाना पर दी थी वादी तहरीर के आधार पर मैंने शब्द व शब्द चिक संख्या 170/14 किता करके अपराध संख्या 280 /14 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 452, 504 IPC बनाम **विपुल उर्फ खूनी**, राहुल उर्फ बोसी निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला व सहदेव धनौरा, बोसी नाला व राहुल भड़ल, विपुल उर्फ खूनी का बहनोई सरुरपुर वाला, अमित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। मुकदमा कायमी का खुलासा दिनांक 14.07.2014 को रोजनामचा आम मे रपट नंबर 23 समय 11.45 बजे मेरे द्वारा किया गया था। चिक FIR एवं मुकदमा कायमी की जीडी एक ही प्रोसेस में मेरे द्वारा तैयार की गई थी। जीडी पत्रावली पर पेपर संख्या 4 मेरे सामने मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क– 15** डाला गया। मुकदमा कायमी की जीडी की कार्बन कॉपी पत्रावली पर पेपर संख्या 6 /2 मेरे सामने मौजूद है, जो असल के मुताबिक है, मैंरे लेख व हस्ताक्षर में प्रमाणित करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क– 16** डाला गया। दिनांक 27.8.2014 को भी मैं थाना कांधला पर बतोर CC तैनात था। उस दिन SHO अमरदीप लाल की फर्द बरामदगी के आधार पर मैंने अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल निवासी भभीसा थाना कांधला के विरुद्ध चिक संख्या 213/14, शब्द दर शब्द किता करके अपराध संख्या 338 /14 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कांधला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसकी चिक FIR मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली पर 4/1 व 4 /2 मौजूद है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर **प्रदर्श क– 17** डाला गया। मुकदमा कायमी का खुलासा दिनांक 27.8.2014

को रोजनामचा आम रपट संख्या 41 समय 15.10 बजे पर मेरे साथी तैनात CC परमेंद्र कुमार द्वारा किया गया था, परमेंद्र कुमार मेरे साथ थाना कांधला पर कार्यरत रहे हैं, मैंने उन्हें लिखते पढ़ते हस्ताक्षर करते देखा है। मैं उनका लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूँ। पत्रावली पर संलग्न पेपर संख्या 8/3 CC परमेंद्र द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित है, पहचान करके प्रमाणित करता हूँ. इस पर **प्रदर्श क– 18** डाला गया। पत्रावली पर मौजूद GD संख्या 36 पेपर संख्या 8 /4 भी CC परमेंद्र कुमार के लेख हस्ताक्षर में है। इसे पहचान करके प्रमाणित करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया।

गवाह पी.डब्लू.6 सी.सी. रामकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क– 15, जी.डी.कायमी को प्रदर्श क–16, चिक एफ.आई.आर. मु0 अ0 सं0 338/14 अतंर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क–17, जी.डी.कायमी मु0 अ0 सं0 338/14 अतंर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क–18 तथा जी.डी. रवानगी पूछताछ को प्रदर्श क–19 के रुप में साबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

21– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.7 के रुप में निरीक्षक पकंज वर्मा को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.7 निरीक्षक पकंज वर्मा प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक है।

गवाह पी.डब्लू.7 निरीक्षक पकंज वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि अपराध संख्या 280/14 थाना कांधला की विवेचना मैंने 29.08.2014 को ग्रहण की थी। मेरे से पूर्व इस केस की विवेचना इंस्पेक्टर अमरदीप लाल कर रहे थे। मैंने दिनांक 29.08.2014 को विवेचना ग्रहण करने के बाद मेरे से पूर्व किता की गई कि यह विवेचना का मैंने भलीभांति अवलोकन किया है। उसी दिन मैंने अभियुक्त **विपुल उर्फ खूनी** के मकान पर दबिश दी थी। दिनांक 1–9–2014 में

वांछित अभियुक्त **विपुल उर्फ खूनी,** हरेंद्र, राहुल पर एनबीडब्लू की तामील की। दिनांक 11–9–2014 को फर्द के गवाहन एस.आई भुपेंद्र कुमार, गवाह राजकुमार सिंह, फराज अहमद व शक्ति सिंह के बयान अंकित किये। उसी दिन मैंने एसआई भुपेंद्र कुमार की निशान देही पर जंगल ग्राम भभीसा में जाकर अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी से बरामद तमंचे का स्थल का नक्शा निरीक्षण करने के बाद मौके पर नक्शा नजीर तैयार किये थे। मैंने नक्शा नजरी मेरे सामने है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर **प्रदर्श क–20** डाला गया। दिनांक 16–9–2014 को अभियुक्तगण विपुल उर्फ खूनी, हरेंद्र, राहुल के बयान से CRPC तामील शेष के संबंध में पर्चा किता किया था। दिनांक 25–9–2014 को अभियुक्तगण अशोक व विपुल उर्फ खूनी की 82 CRPC की तामील कराई गई। दिनांक 29–9–2014 को अभियुक्तगण हरेंद्र थाना बाबरी में गिरफ़तार हुआ था, जिसकी सूचना सीडी में अंकित की। दिनांक 1–1–2014 को अभियुक्त हरेंद्र के वारंट बनाने हेतु न्यायालय में हाजिर आया वारंट प्राप्त किया। अभियुक्त हरेंद्र को हवालात में लिया गया। दिनांक 16–10–2014 को फरार अभियुक्तगण की दबिश दी गई। उनका अपराधिक इतिहास केस डायरी में संलगन किया गया। चुटेल अशोक के डॉक्टर करने वाले डॉक्टर मनीश तनेजा का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया गया। बोहरा नर्सिंग होम के डॉक्टर बोहरा का बयान अंकित किया गया तथा पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी का भी बयान मेरे द्वारा केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 16–10–2014 को उपरोक्त मुकदमे में मेरे द्वारा तमाम केस डायरी के अवलोकन में मेरे द्वारा की गई विवेचना से प्राप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, अमित, राहुल उर्फ बोसी व हरेंद्र के विरुद धारा 147, 148, 149, 452, 504, 302, 307 व 7 Criminal Law Amendment Act अंतर्गत न्ययालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है, जो कागज संख्या 3/1 ता 3/2 हैं, मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं, इस पर **प्रदर्श क–21** डाला गया। दिनाक 2–11–2014 को मेरे द्वारा उपरोक्त मुकदमे में SCD का पर्चा प्रथम किता किया गया, जिसमें समाचार पत्र में 82 का प्रकाशन हुआ था, के संबंध में अंकित किया गया था। **दिनाक 12–11–2014 को अभियुक्तगण विपुल उर्फ खूनी राहुल व अशोक के विरुद्ध थाना**

कांधला पर मुकदमा अपराध संख्या 529/14 धारा 174-A IPC पंजीकृत कराया गया था। दिनाक 13-11-2014 को मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 83 CRPC की कारवाई हेतु उपस्थित हुआ, तथा दिनाक 1-12-2014 को धारा 83 की कारवाई हेतु पर्चा किता किया गया। **दिनाक 16-12-2014 को अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी राहुल व अशोक की धारा 83 CRPC हेतु वारंट प्राप्त किया। दिनाक 24-12-2014 को अभियुक्त राहुल पुत्र सुखवीर निवासी भडल जिला बागपत की कुर्की हेतु SI राजकुमार सिंह को उसके मसकन पर भेजा गया और उसकी चल अचल संपत्ती की कुर्की की गई।** अभियुक्त कुर्कशुदा मकान व अन्य समान की फर्द SI राजकुमार द्वारा बनाई गई जिसका खुलासा CD में किया गया तथा अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी की कुर्की से संबंधित तमाम कारवाई का खुलासा SD में किया गया। दिनाक 2-1-2015 को अभियुक्तगण राहुल व अशोक के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में मेरे द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में करके भेजा गया। दिनाक 19-1-2015 को थाना स्पेशल एवं दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल निवासी भभीसा थाना कांधला को गिरफ़तार किया गया जिसके संबंध में मेरे द्वारा पर्चा किता किया गया। दिनाक 21-1-2015 को अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी का वारंट बनवा कर तिहाड जेल दिल्ली में दाखिल कराया गया। दिनाक 12-3-2015 को अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी खेकडा के एक मुकदमे में मेरठ जिला कारगार पर आया है इस अभियोग में अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी का धारा 167 CRPC का वारंट बनाया गया। दिनाक 24-3-2015 को मा0 न्यायालय से अभियुक्त के बयान लेने की अनुमती की गई। 25-3-2015 को अभियुक्त विपुल के बयान अंकित किये गए। दिनाक 25-3-2015 को मेरे द्वारा अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 204/2014 मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली में मेरे सामने मौजूद है जो दो प्रतियों में हैं। शिनाख्त करता हूँ इस पर **प्रदर्श क- 22** डाला गया।

गवाह पी.डब्लू.7 निरीक्षक पकंज वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से नक्शा नजरी बरामदगी आला कत्ल को प्रदर्श क-20, आरोप पत्र को प्रदर्श क-21 व 22 के रुप में साबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

22– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.8 के रुप में एस.ओ. अमर कुमार बांगला को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.8 एस.ओ. अमर कुमार बांगला प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक है।

गवाह पी.डब्लू.8 एस.ओ. अमर कुमार बांगला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि मैं दिनांक 14.07.14 को मैं थाना कांधाला पर बतौर थाना अध्यक्ष कार्यवाहक तैनात था, प्रकरण संख्या 280/14 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 302, 452, 504, आईपीसी मेरी मौजूदगी में दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की गई थी, जो मैंने विवेचना प्रारंभ करते हुए दिनांक 14–07–2014 को केस डायरी में नकल चिक नकल रिपोर्ट की नकल की और एफआईआर लेखक कॉन्स्टेबल कर्ल्क राजकुमार का बयान लिया, वादी/चोटिल अशोक कुमार का बयान लिया, घटना स्थल पर जाकर वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया, नक्शा नजरी पेपर संख्या 8/2 मेरे सामने है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–23** डाला गया, दिनांक 14.07.2014 को दो खोखा कारतूस 9 एमएम, दो खोखा कारतूस 8 एमएम, दो खोखा कारतूस 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर लाश के पास गैलरी में मेन गेट के पास पड़े थे, जिनकी फर्द मेरे सामने एसआई घनश्याम त्यागी ने बनाई थी, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस को सील सर्वे मोहर किया था, और उसके फर्द एसआई घनश्याम त्यागी ने मेरे सामने तैयार की थी। मैंने भी फर्द को पढ़कर अपने हस्ताक्षर किए थे। दिनांक 14.07.2014 को ही घटना स्थल ग्राम भभीसा मकान के अंदर बैठक, गैलरी में आंगन से लिए गए बैठक से एक खोखा 9 एमएम पीतल का, 8 एमएम पीतल का, एक 12 बोर लाल रंग का, जिस पर शक्तिमान लिखा, मेरे सामने कब्जे में लिए गए। गैलरी से एक खोखा कारतूस 9 एमएम पीतल का, आंगन से एक खोखा कारतूस 8 एमएम पीतल का, एक खोखा कारतूस 12 बोर

लाल रंग का, जिस पर शक्तिमान लिखा है। मेरे सामने एक कपड़े में सील–सर्वे मोहर किया था, नमूना मोहर किया था। फर्द को पढ़कर मैंने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। फर्द प्रदर्श क–12 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14–7–2014 को ही मृतक के मकान से लाश के पास से मिट्टी, सादा खूनालुदा, आला कत्ल कपड़ों में लेकर सील–सर्वे मोहर, एसआई घनश्याम त्यागी ने मेरे सामने किए थे। मैंने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। फर्द प्रदर्श क– 13 पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14–7–2014 को ही घटना स्थल से चुटेल अशोक कुमार से संबंधित खून की बूँदें जो पड़ी थीं, मिट्टी सहित खून की बूँदें व सादा मिट्टी, अलग–अलग प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर सील–सर्वे मोहर कर मेरे सामने एसआई घनश्याम त्यागी ने की थी। उसकी फर्द मौके पर ही तैयार की थी, उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर पूर्व में ही प्रदर्श क– 14 डाला जा चुका है, केस डायरी की फोटो कॉपी की नकल केस डायरी में की थी और सफाई साक्ष्य में गवाह सचिन कुमार व ब्रह्म सिंह के बयान लिए थे। इसके बाद इस केस की विवेचना अमरदीप लाल द्वारा की गई।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

23– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.9 के रुप में एस.ओ. अमरदीप लाल को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लू.9 एस.ओ. अमरदीप लाल प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक है।

गवाह पी.डब्लू.9 एस.ओ. अमरदीप लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 14.07.2014 को मैं थानाध्यक्ष कांधला के पद पर तैनात था। दिनांक 14.07.2014 को माननीय न्यायालय गाजियाबाद में साक्ष्य हेतु गया हुआ था। मेरे बाद थाना कांधला का चार्ज SI श्री अमर कुमार बांगला के पास था। दिनांक 14.07.2014 को थाना कांधला पर अपराध संख्या 280/14, धारा 147, 148, 149, 307, 302, 452,504 IPC थाना कांधला पर पंजीकृत हुआ था। इसकी विवेचना मेरी अनुपस्थिती में SI अमर कुमार बांगला द्वारा की गई। दिनांक

15.07.2014 को मैंने विवेचना ग्रहण की थी। पूर्व विवेचक द्वारा की गई विवेचना का मैंने भलीभाती अवलोकन किया था। दिनांक 15.07. 2014 को विवेचना प्रारंभ करते हुए सीडी में मृतक के पंचनामे की नकल में एवं मृतक के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की नकल सीडी में की थी। मजरुब अशोक कुमार पुत्र सुखवीर सिंह से घटना के समय पहना हुआ एक पैजामा व बनियान, एक गवाह धनवीर सिंह व राजीव कुमार के सामने कबजा पुलिस लिया था, और एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया था, उसकी फर्द तैयार की थी जो मेरे सामने है, जो मैंने SI से तैयार कराई थी। फर्द प्रदर्श क– 2 है, फर्द की नकल सीडी में की थी, फर्द के गवाहन के बयान लिए थे, फर्द के गवाहन धनवीर व राजीव के बयान लिए, पंचायत नामे के गवाहन सहदेव, शीशपाल, श्रीपाल, महेंद्र, सोहनवीर के बयान लिए थे। दिनाक 16.07.2014 को चुटेल अशोक के डाक्टरी रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट की नकल सीडी में की, एस.आई. घनश्याम त्यागी, पंचायत नामा भरने वाले का बयान लिया, पोस्ट मार्टम कराने वाले सिपाही विजेंद्र सिंह व फराज एहमद के बयान लिए. दिनाक 24 .07.2014 को चश्मदीद साक्षी सुखवीर सिंह व श्रीमती सोहनवीरी व गवाह श्रीमती नीलम घटना के बाद ही अशोक का मज़ीद बयान लिया। दिनाक 13–8–2014 को अभियुक्त रामवीर को पुलिस मुठभेड में मेरे द्वारा गिरफ़तार किया गया। अभियुक्त रामवीर, राजीव उर्फ छोटू व अमित से तमंचा 315 बोर में खोका कारतूस जिसमें मेरे द्वारा थाना कांधाला पर अपराध सं 303/14, धारा 307/34 IPC, 304/14, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम रामवीर, अपराध सं 305 /14, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम राजीव उर्फ छोटू, अपराध सं 306/14, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अमित, इन अपराध संख्या से संबंधित मूल फर्द मा0 न्यायालय में पत्रावली में मौजूद नहीं है। अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू व अमित के बयान लिए थे, जिन्होंने जुर्म का इकबाल किया था और बताया था कि पवन की हत्या में यह असलहे प्रयोग किये थे और इन्ही हथियारों से अशोक को जान से मारने की कोशिश की थी। दिनाक 31.07.2014 व 5–8–2014 को अभियुक्तगण को गिरफ़तार करने हेतू दबिश दी थी। दिनाक 9–8–2014 को थाना सिविल लाईन सोनीपत हरियाणा में अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी दिनाक 4–8–2014 को एक तमंचा देसी 315 बोर में पल्सर

मोटरसाइकल के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में अपराध सं. 265/14, धारा 25 आयुध अधिनियम सोनीपत थाना सिविल लाईन में पंजीक्रत है तथा राहुल, हरेंद्र, विपुल उर्फ खूनी की गिरफतारी हेतू दबिश दी। दिनाक 11–8–2014 को बी वारेंट के लिए राहुल उर्फ बोसी के बी वारेंट लिए न्यायालय में अनुरोध किया गया। दिनाक 13–8–2014 को राहुल उर्फ बोसी का बी वारेंट बनवाया गया, बी वारेंट दाखिल कराया गया। दिनाक 21–8–2014 को वाद अनुमती मा0 न्यायालय जिला कारगार सोनीपत हरियाणा अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी का बयान लेने आया। अभियुक्तगण ने अपने जुर्मों का इकबाल करते हुये कहा कि पवन की हत्या व अशोक को घायल करने में प्रयोग किया गया तमंचा पॉलीथिन में लपेट कर दबा रखा है जिसे मै बरामद करा सकता हूँ. दिनांक 23–8–2014 को मा0 न्यायलय में अभिक्त राहुल उर्फ बोसी को PCR देने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. जिसकी सुनवाई हेतू दिनाक 25–8–2014 को नियत किया गया. दिनाक 24–8–2014 को अभियुक्तगण विपुल उर्फ खूनी, अशोक व हरेंदर, राहुल के NBW प्राप्त किये. दिनाक 26–8–2014 को मा0 न्यायालय में अभिक्त राहुल उर्फ बोसी का PCR दिनांक 27–8–2014 को अपराहन 12 बजे से 24 घंटे के लिए स्वीकृत किया. दिनाक 27–8–2014 को अभियुक्त को जिला जेल से PCR पर गवाहन अपराहन 12 बजे से जिला कारगार सोनीपत से लेकर आये और 13–30 बजे रपट नंबर 35 पर थाना कांधला पर दाखिल किया। थाने पर लाकर मैंने पूछताछ की अभियुक्त ने बताया कि तमंचा जिससे मैंने पवन की गोली मारकर हत्या की व अशोक को गोली मारकर घायल किया था। यह तमंचा 315 बोर मैंने गांव के नरेंद्र पुत्र धरम सिंह के बाग में गिरवर पुत्र दयाराम के बाग में लगे नलकूप के सामने खड़े आम के पेड के पास गड्ढा खोदकर पॉलिथिन में छिपाकर दबा रखा है जो मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ। उसके बाद मैं SHO में हमराही SI राजकुमार, SI भुपेंद्र सिंह, कां. शक्ति सिंह, फराज अहमद, मय जीप सरकारी, मय चालक राजेंद्र सिंह के पुलिस अभिरक्षा में लिए गए मुल्जिम राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल उर्फ जयकुमार निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जिला शामली अपराध सं. 280/14 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 302, IPC व से लेकर थाने से बहवाले रपट सं. 36 समय 3.35 बजे में आला कत्ल तमंचा रवाना होकर अभिक्त राहुल उर्फ बोसी

के बताए रास्ते से बुढाना रोड से ग्राम भारसी को जाने वाले खडंजे से होते वे रजवाहा पुल से करीब 50 कदम पहले अभिक्त राहुल उर्फ बोसी ने खडंजे पर ही गाड़ी रुकवाई तथा गाड़ी से उतरकर आगे आगे चलकर खडंजे के पश्चिम की तरफ जाकर गिरवर पुत्र दयाराम ग्राम भभीसा के बाग में लगे ट्यूबवेल के पास पहुंचकर सामने खड़े आम के पेड के पास बैठकर वहां से मिट्टी हटाकर पॉलिथिन में लिपटा एक तमंचा चालू हालत में 315 बोर, एक कारतूस पीतल का जिन्दा समय 14.10 बजे निकाल कर दिया तथा उसने बताया कि यही तमंचा है जिससे मैंने पवन की गोली मार कर हत्या की थी। अभियुक्त से बरामद तमंचा 315 बोर, जिन्दा कारतूस 315 बोर भी कबजे पुलिस में लेकर हमराही पुलिस कर्मचारी के सामने सील सर्वे मुहर किया था। जनता के गवाहों को गवाही के लिए कहा था कोई तैयार नहीं हुआ था। तमंचा कारतूस को कपड़े में रखकर सील सर्वे मुहर किया, नमूना मुहर किया, गवाही गवाहन कराई थी मेरे द्वारा बोल बोलकर उपेंद्र कुमार से लिखाई थी। पेपर सं. 5 है, इस पर **प्रदर्श क– 24** डाला गया। फर्द बरामदगी के अभियुक्त के दस्तखत कराए गए, माल व अभियुक्त को लेकर थाना कांधला पर दाखिल किया और अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी के विरुद्ध अपराध सं. 338/14, 25 आयुध अधिनियम थाना कांधला पर पंजीकृत कराई। अभियुक्त को सोनीपत हरियाणा दाखिल कराया गया। चुटेल अशोक से जो कपड़े हमने कब्जे में लिए थे, उनको सीलबंद पुलिंदा न्यायालय के समक्ष खोला गया, जिसमें से एक पजामा खून आलूदा व एक बनियान खून से आलूदा निकला, जो चुटेल अशोक से संबंधित था। गवाह ने देखकर कहा कि यह वही बनियान व पजामा है, जिनको हमने मौके पर कब्जे में लेकर सील सर्वे मोहर किया था व फर्द तैयार की थी। **पुलिंदा पर वस्तु प्रदर्श–11**, **पजामा पर वस्तु प्रदर्श 12**, **बनियान पर वस्तु प्रदर्श–13** डाला गया।

गवाह पी.डब्लू.9 विवेचक अमरदीप लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से फर्द बरामदगी तमन्चा आला कत्ल को प्रदर्श क–24 तथा वस्तु के रुप में पुलिन्दे को वस्तु प्रदर्श–11, पजामा पर वस्तु प्रदर्श–12 तथा बनियान को वस्तु प्रदर्श–13 के रुप में साबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त गवाह से जिरह भी की गयी है, किन्तु जिरह में कोई ऐसी तथ्यात्मक विसंगति या गम्भीर विरोधाभासी बात सामने निकल कर नहीं आयी है, जिससे उपरोक्त अभियोजन के गवाह के कथानक की प्रमाणिकता को अविश्वसनीय माना जा सके।

24– इस संबंध मे यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र के द्वारा अपने बयानात अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0, 1973 में उपरोक्त घटना के घटित होने से इंकार किया गया है तथा इस मुकदमे में रंजिशवश झूठा फंसाना कहा गया है, परंतु अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित किया गया है। अतः मैं अभियुक्तगण के इस कथन में कोई बल नही पाता हूँ।

25– **उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपुष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र के द्वारा दिनांक 14.07.2014 को समय करीब 10.45 बजे दिन में स्थान ग्राम भभीसा अर्न्तगत थाना कांधला जिला शामली के क्षेत्र में अभियुक्तगण ने अपने एक अन्य साथी विपुल उर्फ खूनी एवं एक अन्य के साथ वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन एवं वादी की उपहति कारित करने के लिए सशस्त्र विधि विरूद्ध जमाव किया तथा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करते हुए, अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर घातक शस्त्रो से सुसज्जित होकर उपरोक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बलवा किया तथा उपरोक्त विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करते हुऐ, अपने एक अन्य साथी विपुल उर्फ खूनी एवं एक अन्य के साथ वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या करने एवं वादी को चोटे पहुँचाने के आशय से वादी के मकान में एकराय होकर अनाधिकृत प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर को गोली मारकर गम्भीर चोटे पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की गोली मारकर साशय हत्या कारित की तथा वादी अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या करने एवं वादी को जान से मारने की नीयत से अवैध तथा घातक हथियारो से लैस होकर**

मौके पर उपस्थित हुये व अन्य को भयभीत करने के आशय / उद्देश्य से बलवा किया तथा अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी द्वारा दिनांक 27–8–2014 को समय करीब 14–10 बजे स्थान जंगल ग्राम भभीसा भारसी जाने वाले खडन्जे के पास, आम के पेड के पास मिटटी से अर्न्तगत थाना कांधला, जिला शामली में अभियुक्त की निशानदेही पर एक देशी तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा व एक जिंदा कारतूस बिना लाईसेंसी बरामद हुआ। प्रश्नगत मामले में तथ्य के दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। प्रश्नगत मामले में साक्षी पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा अशोक चश्मदीद साक्षी/चोटिल तथा साक्षी पी.डब्लू.2 सोहनवीरी चश्मदीद साक्षी के साक्ष्य पूर्ण रुप से विश्वसनीय है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र के विरुद्ध उपरोक्त कारित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, जिससे अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र की सदोषिता साबित होती है। अतः अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र अंतर्गत धारा 147,148,452,307/149,302/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा धारा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट, 1932 तथा अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी तथा हरेन्द्र को सत्र परीक्षण संख्या–148/2015, मुकदमा अपराध संख्या–280/2014, थाना–कांधला, शामली, अंतर्गत धारा 147,148,452,307/149,302/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा धारा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट, 1932 के आरोपों में तथा अभियुक्त राहुल उर्फ बोसी को सत्र परीक्षण संख्या 1158/2015, मुकदमा अपराध संख्या 338/2014, थाना–कांधला, शामली, अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण उपरोक्त को जाति मुचलके तथा जमानतदारों के जमानतनामों को निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को

उनके जाति मुचलकों से तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनॉकित 13.08.2026 को प्रातः 10.30 पर पेश हो।

उपरोक्त अभियुक्तगण का जेल वारण्ट अविलम्ब तैयार कर जिला कारागार, मुजफ्फरनगर भेजा जाये।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुजफ्फरनगर को आदेशित किया जाता है कि वह नियत तिथि तक अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास मंगाया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि कुमार दिवाकर)
दिनांक–06.08.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
कोर्ट संख्या–03, मुजफ्फरनगर।
जे.ओ कोड– UP01828